20/6/2018 वकलाय उप०

रेस्पोडेन्ट ने उपस्थित होकर अपी०02 के पक्ष में निष्पादित सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत कर अपील में वर्णित तथ्यों को स्वीकार किया तथा माफिक अनुतोष अपील स्वीकार करने का निवेदन किया। उभयपक्ष को सुना गया। चूंकि रेस्पो० ने माफिक अनुतोष अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है। अतः सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 15 R 1 के तहत अपील स्वीकार योग्य पाई जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपी०02 द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा ग्राम सोजत पत्र II के नामान्तरकरण सं० 2723 पर तहसीलदार सोजत द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दि० 18/01/2012 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे मृतक देवाराम के पुत्र नत्थूराम के विधिक वारिसान की जांच कर पक्षकारान को समुचित साक्ष्य सुनवाई का अवसर देते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

अति. जिला कलेक्टर, पाली